रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 868] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938
No. 868] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1156(अ).—चूंकि वायुयान नियम 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 18 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 998(अ) के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां तारीख 24 अक्तूबर, 2016 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बावत प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (छठा संशोधन), नियम, 2016 है

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 82 के उप-नियम में,-

(क) "हर उपयुक्त समय पर" शब्दों के स्थान पर "हर उपयुक्त समय या अंतराल पर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) "विमान क्षेत्र पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए" शब्दों के स्थान पर "विमान क्षेत्र पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के प्रयोजन के लिए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

3. उक्त नियमों के नियम 83 में, उप-नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"(6) महानिदेशक, उप-नियम (1) के तहत अधिरोपित किसी शर्त का अनुपालन न होने या विमान क्षेत्र निरीक्षण के दौरान सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न होने और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात, समस्या का समाधान न होने की दशा में अनुज्ञप्ति पर प्रचालन निर्बंधन अधिरोपित कर सकेंगे।"

[फा. सं. एवी. 11012/5/2016-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 19 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 997(अ) द्वारा 24 अक्तूबर, 2016 को किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

G.S.R. 1156(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 998(E), dated 18th October, 2016, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 24th October, 2016;

And whereas objections or suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Fifth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 82,—

(a) for the words "at all reasonable times", the words "at all reasonable times or intervals" shall be substituted;

(b) for the words "for the purpose of ensuring safety and order at the aerodrome", the words "for the purpose of surveillance to ensure safety and order at the aerodrome" shall be substituted.

3. In rule 83 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) The Director-General may impose operating restriction on the license in the event of non-compliance with any condition imposed under sub-rule (1) or if any safety concern emerges during the aerodrome inspection and remains unresolved beyond the period specified by the Director-General.".

[F. No. AV. 11012/5/2016-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide notification number G.S.R. 997(E) dated the 19th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 24th October, 2016.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.21 20:31:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.